

बिहार के टूरिस्ट प्लेस और तीर्थ स्थल बनेंगे नगर निकाय

चर्चा में क्यों?

5 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के पर्यटन स्थलों, तीर्थ स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को नगर निकाय के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बंदि

- बिहार में स्थिति तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को नगर निकाय (नगर नगिम, नगर परिषद और नगर पंचायत) के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लाया गया था।
- कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नगर एवं आवासन विभाग पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर को नगर पालिका के रूप में अधिसूचित कर सकेगा।
- इस प्रस्ताव के तहत 1.5 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले तीर्थ स्थल और टूरिस्ट प्लेस को नगर नगिम बनाया जाएगा। वहीं, 30 हज़ार से डेढ़ लाख तक की आबादी वाले इन स्थलों को नगर परिषद और 9000 से 30 हज़ार तक की जनसंख्या वाले स्थलों को नगर पंचायत बनाया जाएगा।